रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082026-275672
CG-DL-E-22082026-275672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 230] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 19, 2026/श्रावण 28, 1948
No. 230] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 19, 2026/SHRAVAN 28, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2026

मामला सं. एडी (ओआई) 24/2026

(सेतु मामला आई.डी.एडी/ ओआई /028/2026)

विषय: चीन जनवादी गणराज्य, जापान और रूस से उत्पन्न या वहां से निर्यातित "मिश्र धातु या गैर-मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 6/26/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 25 जून, 2026 को फा. सं. 6/26/2026-DGTR के माध्यम से आरंभिक अधिसूचना जारी की थी।

विषयगत आरंभिक अधिसूचना के **पैरा 23** को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

23. घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर विचार किया गया है। आवेदकों ने प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह स्थापित करते हैं कि संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। आवेदकों ने दावा किया है कि क्षति जांच अवधि के दौरान आयातों की मात्रा में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में मांग के सापेक्ष वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुएं घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती कर रही थीं तथा इन आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव और गिरावट आई है। बिक्री में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग के औसत भंडार में वृद्धि हुई है। यह भी दावा किया गया है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग के लाभप्रदता संबंधी मानकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसमें ***निवेश पर प्रतिफल में कमी*** *भी शामिल है।*

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2026

Case No. AD (OI)-24/2026

SETU Case ID: AD/OI/028/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of "Hot Rolled Flat Products of Alloy or Non-Alloy Steel" originating in or exported from China PR, Japan and Russia.

No. 6/26/2026-DGTR: Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, the Designated Authority has issued the initiation notification vide F. No. 6/26/2026-DGTR dated 25th June 2026 in respect of the subject anti-dumping investigation.

Para 23 of the subject initiation notification is modified as under:

23. Information furnished by the applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicants have furnished prima facie evidence establishing that the subject imports have caused injury to the domestic industry. The applicants have claimed that the volume of imports increased in both absolute terms and in relation to demand in India over the injury period. The subject goods were undercutting prices of the domestic industry and the subject imports suppressed and depressed the prices of domestic industry. Despite increased sales, the average inventory of the domestic industry increased. The applicants have claimed that there is adverse impact on profitability parameters of domestic industry, including decline in return on investment, due to dumped imports.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.22 10:49:20 +05'30'